

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) मध्यप्रदेश भोपाल

सी ब्लॉक, भू-तल, वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल, E-mail pccfprot@mp.gov.in

क्रमांक/2025/संरक्षण/ I/370698/2025 भोपाल दिनांक 16-07-2025

प्रति,

1. वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) भोपाल/इंदौर/जबलपुर/शिवपुरी
2. उप वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) भोपाल/इंदौर/जबलपुर/शिवपुरी
(क्रमांक 2 को द्वारा : संबंधित वनमंडलअधिकारी)
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय:- स्टेट टाइगर स्ट्राइक फ़ोर्स द्वारा दर्ज वन अपराध प्रकरणों में जप्त वाहन को राजसात करने की प्रक्रिया हेतु प्राधिकृत अधिकारी/ अपीलीय अधिकारी के निर्धारण के संबंध में।

सन्दर्भ :-1. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का पत्र क्र. (नोटिफिकेशन) सी/2681 जबलपुर दि. 05.03.24

2. म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन क्र/एफ 15-36/2007/10-2 दिनांक 12.12.2008 एवं दि. 17.06.2022

--00--

उपरोक्तविषयान्तर्गत लेख है की संदर्भित पत्र क्रमांक 2 द्वारा से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग ने स्टेट टाइगर स्ट्राइक फ़ोर्स (एसटीएसएफ) म.प्र भोपाल का गठन कर इसके अधीनस्थ 04 क्षेत्रीय इकाइयों के मुख्यालय इन्दौर/भोपाल/जबलपुर/शिवपुरी नियत किये गए हैं। उक्त 04 क्षेत्रीय इकाइयों के अंतर्गत पंजीबद्ध गंभीर वन अपराध प्रकरणों की सुनवाई हेतु माननीय उच्च न्यायलय ने इनके मुख्यालय पर इन्दौर/भोपाल/जबलपुर/शिवपुरी में 04 विशेष न्यायालयों का भी गठन किया गया है। इन क्षेत्रीय इकाइयों के अंतर्गत दर्ज समस्त प्रकरणों में प्रकरण में उपजी परिस्थिति अनुसार जप्त वाहन व अन्य सामग्रीयों को विभिन्न वन अधिनियमों में राजसात करने संबंधी कार्यवाही हेतु शासन हित में इनके मुख्यालय पर स्थित कार्यालयों (क्षेत्रीय) में पदस्थ अधिकारियों को निम्नलिखित तालिका अनुसार प्राधिकृत अधिकारी/ अपीलीय अधिकारी का निर्धारण किया जाता है:-

क्र.	विशेष न्यायालय का नाम	प्राधिकृत अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
01	सी.जे.एम. न्यायालय भोपाल	उप वन मंडल अधिकारी भोपाल	मुख्य वन संरक्षक भोपाल
02	सी.जे.एम. न्यायालय इंदौर	उप वन मंडल अधिकारी इंदौर	मुख्य वन संरक्षक इंदौर
03	सी.जे.एम. न्यायालय जबलपुर	उप वन मंडल अधिकारी जबलपुर	मुख्य वन संरक्षक जबलपुर
04	सी.जे.एम. न्यायालय शिवपुरी	उप वन मंडल अधिकारी शिवपुरी	मुख्य वन संरक्षक शिवपुरी

एसटीएसएफ द्वारा प्रस्तुत राजसात प्रकरणों में, इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी राजसात संबंधी निर्देशों के अनुरूप, समयसीमा में कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे।

Digitally signed by
Manoj Kumar Agarwal
Date: 16.07.2025
17:17:26
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख , म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फ़ोर्स , मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)
4. वनमंडल अधिकारी भोपाल/इंदौर/जबलपुर/शिवपुरी
5. प्रभारी स्टेट टाइगर स्ट्राइक फ़ोर्स क्षेत्रीय इकाई भोपाल/इंदौर/जबलपुर/शिवपुरी
ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

की

